संख्या-सम्ब0-283/सत्तर-2-2010-2(531)/2009

प्रेषक,

डॉ0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

लखनऊः दिनांकः 29 जुलाई, 2010

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकःसम्बद्धन/103/10, दिनांक 21-05-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन जे0एस0 इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2009-10 शून्य होने के कारण परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01-07-2010 से शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः-

(1) घोषित परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010-11 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01-07-2010 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।

(3) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

(4) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(5) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(डॉ0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

..2/-